DISH DOCTOR



Ask us any questions or problems faced by you in the course of your business. Our DISH DOCTOR will try and answer them in the best way possible, in the simplest terms, avoiding the unnecessary use of technical terms where possible. The service is available free to our readers and subscribers.

Send Your Queries To: Dish Doctor, 312/313, A Wing, 3rd Floor, Dynasty Business Park, Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai – 400059. or

Email: manoj.madhavan@nm-india.com. Now you can WhatsApp Your Dish Doctor Oueries To: +91-91082 32956

FRAMEWORK FOR GROUND BASED BROADCASTING

Q: Please share insights on the framework for Ground Based Broadcasting as proposed by TRAI.

Dr Somasekar Rao, Media Consultant, Bengaluru

Ans.: A regulatory framework for ground-based broadcasting (GBB) in India is essential to support fair, transparent, and sustainable growth within the sector. Ground-based broadcasting can play a significant role in delivering information, entertainment, and educational content to India's diverse population.

Such a framework would help uphold content integrity, protect consumer interests, and ensure equitable access to broadcasting resources while fostering a

40

गाउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग के लिए रूपरेखा प्रश्नः कृपया ट्राई द्वारा प्रस्तावित गाउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग के लिए रूपरेखा पर अंतर्दृष्टि साझा करें।

> डॉ सोमशेखर राव, मीडिया सलाहकार, बंगलुरू

उत्तर8 भारत में ग्राउंड बेस्ड बॉडकास्टिंग (जीबीबी) के लिए एक विनियामक ढ़ांचा इस क्षेत्र में निष्पक्ष, पारदर्शी और सतत विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। ग्राउंड बेस्ड बॉडकास्टिंग भारत की विविध आबादी को सूचना, मनोरंजन और शैक्षिक सामग्री प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ऐसा ढ़ांचा समग्री की अखंडता को बनाये रखने, उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और प्रसारण संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी बाजार को बढावा देने और एकाधिकार प्रथाओं को



SATELLITE & CABLE TV NOVEMBER 2024



competitive market and preventing monopolistic practices. As technology and digitalization reshape the broadcasting landscape, a robust regulatory system is necessary to leverage these advancements and address new challenges, such as intellectual property rights and content regulation. Establishing and continuously evolving these regulations will be vital for cultivating a balanced and dynamic media environment in India.

Currently, there is limited clarity around the regulatory framework for groundbased broadcasters. Unlike traditional satellite broadcasters, ground-based broadcasting operates via multiple terrestrial communicationmediums, allowing them to distribute across content multiple Distribution

42

Platform Operators (DPOs) without relying on a single satellite network.

Following recent stakeholder discussions, there is a consensus that GBB does not utilize satellite technology, making certain guidelines, such as Uplinking and Downlinking, less applicable. However, other regulatory measures, such as the Cable Television Networks (Regulation) Act, as well as TRAI's interconnect, tariff, and quality of service (QoS) regulations, may need adaptation. The primary considerations for a GBB regulatory framework should encompass amendments to the programming and advertising codes issued by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) and updated regulations from TRAI that account for the unique nature and scale of ground-based broadcasting in India.

रोकने में मदद करेगा। चूंकि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण प्रसारण परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं, इसलिए इन प्रगति का लाभ उठाने और वौद्धिक संपदा अधिकार और सामग्री विनियमन जैसी नयी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मजबूत नियामक प्रणाली की आवश्यकता है। इन विनियमों को स्थापित करना और निरंतर विकसित करना भारत में संतुलित

और गतिशील मीडिया वातावरण विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

वर्तमान मे, ग्राउंड आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढ़ांचे के बारे में सीमित स्पष्टता है। पारंपरिक सैटेलाइट प्रसारकों के विपरित ग्राउंड आधारित प्रसारण कई स्थलीय संचार माध्यमों के माध्यम से संचालित होता है, जिससे उन्हें एकल सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर हुए विना

कई वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) में सामग्री वितरित करने की अनुमित मिलती है।

हाल ही में हितधारकों के साथ चर्चा के बाद, इस बात पर आम सहमित बनी है कि जीबीबी सैटेलाइट प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करता है जिससे अपिलंकिंग और डाउनिलंकिंग जैसे दिशा-निर्देश कम लागू होते हैं। हालांकि अन्य विनियामक उपायों जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, साथ ही ट्राई के इंटरकनेक्ट, टैरिफ और सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) विनियमों को अनुकूलन की आवश्यकता हो सकती है। जीबीबी विनियामक ढ़ांचे के लिए प्राथमिक विचारों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईवी) द्वारा जारी प्रोग्रामिंग और विज्ञापन कोड में संशोधन और ट्राई के अपडेटेड अधिनियम शामिल होने चाहिए, जो भारत में ग्राउंड आधारित प्रसारण की अनूठी प्रकृति और पैमाने को ध्यान में रखते हैं। ■

SATELLITE & CABLE TV NOVEMBER 2024